अध्याय II

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किये गये दत्तमत एवं भारित व्ययों का लेखा–जोखा हैं, जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम, 2012 के साथ संलग्न की गयी सूचियों में विभिन्न प्रयोजनों हेतु निर्धारित अनुदानों एवं विनियोगों से की जाती है। इन लेखों में विनियोग लेखे द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत मदों की धनराशियों के सापेक्ष मूल बजट अनुमानों, अनुपूरक अनुदानों, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोगों की धनराशियों का विवरण दिया जाता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे एक नियन्त्रण अभिलेख हैं जो कि वित्त प्रबंधन एवं बजट के प्रावधानों के अनुश्रवण को सुसाध्य बनाते हैं। इसलिए यह वित्त लेखे के पूरक भी हैं।

2.1.2 भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय की गई धनराशियाँ विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत थीं एवं संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत भारित थीं। लेखापरीक्षा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधि सम्बन्धित नियमों, विनियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुए धनराशियाँ व्यय की गयी हैं।

2.2 विनियोग लेखों का संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2012–13 की अवधि में 92 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति **सारणी 2.1** में दी गयी है।

सारणी 2.1: वास्तविक/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय का स्वरूप		मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
दत्तमत	I राजस्व	1,26,586.19	3,546.99	1,30,133.18	1,16,011.02	14,122.16
	II पूंजीगत	36,932.43	2,197.51	39,129.94	35,536.27	3,593.67
	III ऋण तथा अग्रिम	1,324.78	17.96	1,342.74	1,003.24	339.50
योग दत्तमत		**1,64,843.40**	**5,762.46**	**1,70,605.86**	**1,52,550.53**	**18,055.33**
भारित	IV राजस्व	27,045.16	11.80	27,056.96	25,409.54	1,647.42
	V पूंजीगत	166.10	87.03	253.13	189.11	64.02
	VI लोक ऋण–पुनर्भुगतान	18,843.96	0	18,843.96	8,909.03	9,934.93
योग भारित		**46,055.22**	**98.83**	**46,154.05**	**34,507.68**	**11,646.37**
कुल योग		**2,10,898.62**	**5,861.29**	**2,16,759.91**	**1,87,058.21**	**29,701.70**

नोटः वास्तविक व्यय के आंकड़े जिसमें दत्तमत राजस्व व्यय (₹ 696.92 करोड़), दत्तमत पूंजीगत व्यय (₹ 11,891.09 करोड़) के अन्तर्गत वसूलियों को व्यय में से घटाकर समायोजित करते हुए सम्मिलित किया गया है।

(स्रोतः विनियोग एवं वित्त लेखे 2012–13)

राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के 121 प्रकरणों तथा ऋण सहित (लोक ऋण पुनर्भुगतान) पूंजीगत मद के अर्न्तगत 70 प्रकरणों में ₹ 32,706.99 करोड़

(परिशिष्ट 2.1) की बचत के परिणामस्वरूप ₹ 29,701.70 करोड़ की कुल बचत थी जो राजस्व मद के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के नौ प्रकरणों तथा पूंजीगत मद के चार प्रकरणों में ₹ 3,005.29 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसन्तुलित हुई।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन

2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 131 प्रकरणों में प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ या कुल प्रावधानों के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी ***(परिशिष्ट 2.2)***। ₹ 32,706.99 करोड़ की कुल बचत के सापेक्ष 27 अनुदानों एवं विनियोगों से सम्बंधित 39 प्रकरणों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) में ₹ 30,511.92 करोड़ (93 *प्रतिशत*) की बचत पायी गयी, जिनका विवरण **सारणी 2.2** में दिया गया है।

सारणी 2.2: ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	प्रावधान			वास्तविक व्यय	बचत
			मूल अनुदान	अनुपूरक	कुल अनुदान		
राजस्व –दत्तमत							
1.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,688.55	1.50	2,690.05	2,045.13	644.92
2.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,420.93	7.30	1,428.23	1,324.44	103.79
3.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,873.87	0.02	3,873.89	2,966.36	907.53
4.	26	गृह विभाग (पुलिस)	9,663.33	28.07	9,691.40	8,898.00	793.40
5.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	3,207.14	5.05	3,212.19	2,808.40	403.79
6.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,476.89	80.00	2,556.89	2,335.64	221.25
7.	37	नगर विकास विभाग	1,126.51	24.00	1,150.51	912.00	238.51
8.	42	न्याय विभाग	1,146.36	16.43	1,162.79	984.27	178.52
9.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,378.02	271.00	1,649.02	1,544.76	104.26
10.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,307.44	69.00	4,376.44	4,003.46	372.98
11.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	650.14	शून्य	650.14	494.67	155.47
12.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	2,140.51	शून्य	2,140.51	1,787.49	353.02
13.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,507.60	शून्य	1,507.60	826.15	681.45

14.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	13,380.48	828.08	14,208.56	13,530.80	677.76
15.	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	23,680.47	400.00	24,080.47	22,214.66	1,865.81
16.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,228.70	302.62	8,531.32	7,254.54	1,276.78
17.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,287.48	0.40	2,287.88	1,471.79	816.09
18.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	1,023.45	0.50	1,023.95	208.80	815.15
19.	77	श्रम विभाग (रोजगार)	771.37	शून्य	771.37	568.90	202.47
20.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,626.97	547.40	7,174.37	5,412.27	1,762.10
21.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,181.43	शून्य	2,181.43	1,982.64	198.79
22.	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,514.47	200.05	2,714.52	2,231.12	483.40
		योग	**96,282.11**	**2,781.42**	**99,063.53**	**85,806.29**	**13,257.24**
		राजस्व - भारित					
23.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	26,501.79	शून्य	26,501.79	24,856.66	1,645.13
		योग	**26,501.79**	**शून्य**	**26,501.79**	**24,856.66**	**1,645.13**
		पूंजीगत - दत्तमत					
24.	11	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	716.02	1.00	717.02	539.29	177.73
25.	13	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,198.78	386.93	2,585.71	2,382.49	203.22
26.	14	कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	622.41	3.38	625.79	302.51	323.28
27.	21	खाद्य एवं रसद विभाग	8,796.21	847.92	9,644.13	8,604.63	1,039.49
28.	26	गृह विभाग (पुलिस)	714.12	शून्य	714.12	350.87	363.25
29.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	583.69	शून्य	583.69	353.01	230.68
30.	37	नगर विकास विभाग	3,388.11	शून्य	3,388.11	2,650.12	737.99
31.	40	नियोजन विभाग	1,549.50	410.00	1,959.50	1,499.80	459.70
32.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	238.24	28.72	266.96	134.65	132.31
33.	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	696.07	शून्य	696.07	531.34	164.73

34.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	331.40	शून्य	331.40	108.76	222.64
35.	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	102.00	शून्य	102.00	शून्य	102.00
36.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	214.19	1.75	215.94	92.18	123.76
37.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	3,477.77	0.13	3,477.90	2,889.06	588.84
38.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,018.62	15.00	3,033.62	2,227.86	805.77
योग			**26,647.13**	**1,694.83**	**28,341.96**	**22,666.57**	**5,675.39**
पूंजीगत –भारित							
39.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवाएं एवं अन्य व्यय)	18,044.06	शून्य	18,044.06	8,109.90	9,934.16
योग			**18,044.06**	**शून्य**	**18,044.06**	**8,109.90**	**9,934.16**
महायोग			**1,67,475.09**	**4,476.25**	**1,71,951.34**	**1,41,439.42**	**30,511.92**

(स्रोत : विनियोग लेखे 2012–13)

सारणी 2.2 यह दर्शाता है कि ₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व दत्तमत के अंतर्गत (10 अनुदानों) अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य संबद्ध विभाग (कृषि), 14–कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (पंचायती राज), 26–गृह विभाग (पुलिस), 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान), 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन), 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा), 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) एवं 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) में हुई जो सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि के पाँच *प्रतिशत* से 80 *प्रतिशत* के मध्य थी।

₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें पूंजीगत दत्तमत के अंतर्गत (चार अनुदानों) अनुदान संख्या 21–खाद्य एवं रसद विभाग, 37–नगर विकास विभाग, 83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) एवं 94–सिंचाई विभाग (निर्माण) में भी रही जो कि सम्पूर्ण अनुदान की धनराशि के 11 *प्रतिशत* से 27 *प्रतिशत* के मध्य थी।

₹ 500 करोड़ से अधिक की बचतें राजस्व भारित के साथ–साथ पूंजीगत भारित के अन्तर्गत भी अनुदान संख्या–61 वित्त विभाग (ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय) में रही जो कि सम्पूर्ण अनुदान/विनियोग के कुल धनराशि के छः *प्रतिशत* से 55 *प्रतिशत* के मध्य थी।

पिछले वर्ष में हुई बचत से तुलना करने पर पाया गया कि बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) 13 अनुदानों[1] में से सात अनुदानों में हुई जैसा कि **सारणी 2.3** में विवरण दिया गया है।

[1] अनुदान सं0–11 (कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग–कृषि), 14 (कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग–पंचायती राज), 21 (खाद्य एवं रसद विभाग), 26 (गृह विभाग–पुलिस), 37 (नगर विकास विभाग), 54 (लोक निर्माण विभाग–अधिष्ठान), 61 (वित्त विभाग–ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय), 62 (वित्त विभाग–अधिवर्ष, भत्ते एवं पेंशन), 71 (शिक्षा विभाग–प्राथमिक शिक्षा), 72 (शिक्षा विभाग–माध्यमिक शिक्षा), 73 (शिक्षा विभाग–उच्च शिक्षा), 76 (श्रम विभाग–श्रम कल्याण) एवं 83 (समाज कल्याण विभाग–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)।

सारणी 2.3: बचत दर्शाने वाले अनुदान

क्र0 सं0	अनुदान की संख्या एवं नाम	वर्ष के दौरान हुई बचत	
		2011–12	2012–13
1.	11 (कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग–कृषि)–राजस्व दत्तमत	766.36	644.92
2.	21 (खाद्य एवं रसद विभाग)–पूंजीगत दत्तमत	1,811.79	1,039.49
3.	61 (वित्त विभाग–ऋण सेवायें एवं अन्य व्यय)–पूंजीगत भारित	9,999.25	9,934.16
4.	71 (शिक्षा विभाग–प्राथमिक शिक्षा)–राजस्व दत्तमत	888.00	1,865.81
5.	72 (शिक्षा विभाग–माध्यमिक शिक्षा)– राजस्व दत्तमत	582.87	1,276.78
6.	73 (शिक्षा विभाग–उच्च शिक्षा)– राजस्व दत्तमत	745.76	816.09
7.	83 (समाज कल्याण विभाग–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)–राजस्व दत्तमत	792.46	1,762.10

(स्रोतः विनियोग लेखे 2011–12 एवं 2012–13)

2.3.2 अनवरत बचत

पन्द्रह अनुदानों के अंतर्गत 19 प्रकरणों में विगत पाँच वर्षों से अनवरत बचत हो रही है। इसका विवरण **सारणी 2.4** में दिया गया है। वर्ष 2012–13 में यह बचत ₹ 164.73 करोड़ से ₹ 9,934.16 करोड़ के मध्य थी।

सारणी 2.4: अनवरत बचत वाले अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	बचत की धनराशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
राजस्व–दत्तमत						
1.	11–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	460.99	720.33	217.67	766.36	644.92
2.	14–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	379.24	334.35	226.92	211.62	907.53
3.	26–गृह विभाग (पुलिस)	64.74	101.09	149.67	54.74	793.40
4.	32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	369.50	414.68	203.62	145.70	403.79
5.	37–नगर विकास विभाग	300.97	54.47	711.79	625.51	238.51
6.	42–न्याय विभाग	157.09	191.88	230.59	172.36	178.52
7.	49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग	138.16	218.28	180.62	636.10	372.97
8.	52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद एवं अन्य व्यय)	64.99	64.65	104.39	69.90	353.02
9.	54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	496.58	442.11	396.56	238.54	681.45
10.	72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	202.21	258.35	785.84	582.87	1,276.77
11.	73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	164.51	93.50	571.89	745.76	816.09
12.	83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	470.38	291.56	110.33	792.46	1,762.10
13.	95–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	78.65	16.76	14.71	18.03	483.40
	योग–	**3,348.01**	**3,202.01**	**3,904.60**	**5,059.95**	**8,912.47**
पूंजीगत–दत्तमत						
14.	26–गृह विभाग (पुलिस)	69.62	145.34	356.13	488.36	363.24
15.	37–नगर विकास विभाग	11.20	374.16	687.12	261.76	737.99
16.	48–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	167.86	134.62	165.56	373.36	164.73
17.	61–वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	21.69	274.13	153.04	401.78	222.64

18.	83–समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	399.73	724.30	103.62	415.46	588.84
	योग	**670.10**	**1,652.55**	**1,465.47**	**1,940.72**	**2,077.44**
	पूंजीगत–भारित					
19.	61– वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	10,001.56	9,219.96	9,288.06	9,999.25	9,934.16
	योग	**10,001.56**	**9,219.96**	**9,288.06**	**9,999.25**	**9,934.16**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष भर अनुदानों की पर्याप्त संख्या में अनवरत बचत, धन की आवश्यकता एवं प्रवाह की बिना उचित जाँच, राज्य सरकार द्वारा लगातार निधि की आवश्यकताओं का अनुचित आकलन दर्शाता है।

2.3.3 व्ययाधिक्य

छः अनुदानों के आठ प्रकरणों में ₹ 10,146.51 करोड़ के व्यय की धनराशि अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 3,002.68 करोड़ अधिक थी, जिसमें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक का व्यय था। इसका विवरण ***परिशिष्ट 2.3*** में दिया गया है।

सारणी 2.5 के विवरणानुसार निम्नलिखित अनुदानों मे लगातार पाँच वर्षों में 2012-13 के अंत तक व्ययाधिक्य पाया गया।

सारणी 2.5: अनवरत अधिक व्यय से सम्बन्धित अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की धनराशि				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
	राजस्व–दत्तमत					
1	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	58.62	132.39	121.37	106.77	166.12
	पूंजीगत–दत्तमत					
2	55- लोक निर्माण विभाग (भवन)	769.50	362.12	144.20	54.55	71.97
3	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	1,697.88	1,140.84	1,152.14	1,068.66	2,152.37

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

लोक निर्माण विभाग अनुदान संख्या 58 के राजस्व प्रभाग एवं अनुदान संख्या 55 व 58 के पूंजीगत प्रभाग में वर्ष 2008–13 की अवधि में अनवरत व्यय का आधिक्य बजट निर्माण के समय मांगों का कम आकलन प्रदर्शित करता है।

2.3.4 विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों का विनियमितीकरण

भारत के संविधान की धारा 205 के अन्तर्गत राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह दिये गये अनुदानों/विनियोगों से अधिक व्यय को राज्य विधान मंडल से नियमित कराये। ऐसा पाया गया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2004–05 तक अधिक हुए व्यय का विनियमितीकरण कर लिया है। फिर भी वर्ष 2005–12 की अवधि के व्ययाधिक्य ₹ 15,363.76 करोड़ का विनियमितीकरण किया जाना शेष था। 78 अनुदानों एवं 29 विनियोगों के अधीन हुए वर्षवार व्ययाधिक्य, जो विनियमितीकरण हेतु लम्बित थे, का विवरण **सारणी 2.6** में दिया गया है।

सारणी 2.6: *विगत वर्षों के अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्ययों का विनियमितीकरण*

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदानों/विनियोगों का विवरण	आधिक्य राशि
2005-06	25–अनुदान 4–विनियोग	राजस्व दत्तमत– 8,12,19,53,55,57,58,72; पूंजीगत दत्तमत–15,16,18,23,24,33, 34,37,38,40,55,56, 57,58,73,75,96; राजस्व भारित–1,52; पूंजीगत भारित–52,55	1,026.78
2006-07	18–अनुदान 6–विनियोग	राजस्व दत्तमत–9,13,55,58,61,62,73,91,95; पूंजीगत दत्तमत–3,16,31,37,55,57,58,89,96; राजस्व भारित –2,3,10,52,62,89	2,484.47
2007-08	12–अनुदान 2–विनियोग	राजस्व दत्तमत–51,55,57,58,62; पूंजीगत दत्तमत–13,16,55,58,63,83,96; राजस्व भारित–51,66	3,610.65
2008-09	5–अनुदान 1– विनियोग	राजस्व दत्तमत–62,96; पूंजीगत दत्तमत–55,58,96; राजस्व भारित–52	3,399.42
2009-10	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–58; पूंजीगत दत्तमत–1,16,55,58, 59; राजस्व भारित –3,10,16,48,52,66	1,250.16
2010-11	6–अनुदान 4– विनियोग	राजस्व दत्तमत–30,51,91; पूंजीगत दत्तमत–10, 55, 58; राजस्व भारित – 10,23,61,82	1,702.62
2011-12	6–अनुदान 6– विनियोग	राजस्व दत्तमत–-21,62,91; पूँजीगत दत्तमत–1,55, 58; राजस्व भारित – 13,18,23,61,62,82	1,889.66
		योग	**15,363.76**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

2.3.5 वर्ष 2012–13 में अनुदानों/विनियोगों से अधिक हुए व्यय का विनियमितीकरण

वर्ष 2012–13 में अनुदानों/विनियोगों के सात प्रकरणों में राज्य की समेकित निधि से प्राधिकृत धनराशि से अधिक किया गया कुल व्ययाधिक्य ₹ 2,380.23 करोड़ का सार **सारणी 2.7** में दिया गया है।

सारणी 2.7: वर्ष 2012–13 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का विनियमितीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	व्ययाधिक्य	वर्ष के दौरान निधि का समायोजन	अपेक्षित व्ययाधिक्य का विनियमितीकरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	राजस्व – दत्तमत					
1	51–राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के संबंध में राहत)	638.93	1,107.85	468.92	2.30	466.62
2	57–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)	16.00	20.02	4.02	1.82	2.20
	योग	**654.93**	**1,127.87**	**472.94**	**4.12**	**468.82**
	पूंजीगत – दत्तमत					
3	55–लोक निर्माण विभाग(भवन)	40.92	112.89	71.97	3.44	68.53
4	58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें)	3,444.10	5,596.47	2,152.37	338.19	1,814.18
	योग	**3,485.02**	**5,709.36**	**2,224.34**	**341.63**	**1,882.71**

राजस्व भारित						
5	55–लोक निर्माण विभाग (भवन)	2.65	2.75	0.10	0.01	0.09
6	62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	16.51	54.77	38.26	9.67	28.59
7	89–संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	65.45	65.47	0.02	शून्य	0.02
योग		**84.61**	**122.99**	**38.38**	**9.68**	**28.70**
महायोग		**4,224.56**	**6,960.22**	**2,735.66**	**355.43**	**2,380.23**

(स्रोतः विनियोग लेखे 2012–13)

सारणी से यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन ₹ 2,380.23 करोड़ का विनियमितीकरण होना अपेक्षित था।

2.3.6 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2012–13 में 30 प्रकरणों में ₹ 3,135.64 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) प्राप्त किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि मूल प्रावधान की ही धनराशि व्यय नहीं की जा सकी थी जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है। यद्यपि, अनुदान संख्या–58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सड़कें) में ₹ 310 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिसके कारण ₹ 2,152.37 करोड़ का अधिक व्यय अनाच्छादित रहा ***(परिशिष्ट 2.5)***। अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान दर्शाता है कि अनुपूरक बजट में बनाया गया प्रावधान वास्तविक आवश्यकताओं के आकलन पर आधारित नहीं था।

2.3.7 अधिक/अनावश्यक निधियों का पुनर्विनियोग

किसी अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ पर बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो, में हस्तान्तरण की प्रक्रिया पुनर्विनियोग है[2]।

अनौचित्यपूर्ण पुनर्विनियोग या तो अधिक या अपर्याप्त सिद्ध हुआ। परिणामस्वरूप, 46 अनुदानों के 141 उप–शीर्षो में ₹ 1,897.62 करोड़ की बचत तथा 24 अनुदानों के 45 उपशीर्षो में ₹ 491.61 करोड़ का व्ययाधिक्य हुआ, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है।

2.3.8 अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण

विभिन्न कारणों से 190 उपशीर्षों से संबंधित अत्यधिक धनराशियों ₹ 3,358.92 करोड़ का अभ्यर्पण (कुल प्रावधान का 50 *प्रतिशत* या अधिक) करना पड़ा। वर्ष 2012–13 के 190 योजनाओं/कार्यक्रमों में कुल प्रावधानित ₹ 4,062.83 करोड़ में से ₹ 3,358.92 करोड़ (83 *प्रतिशत*) की धनराशि अभ्यर्पित की गई, इनमें 76 योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु प्रावधानित ₹ 1,168.23 करोड़ का शत–प्रतिशत अभ्यर्पण सम्मिलित है। इस प्रकार के प्रकरणों का विस्तृत विवरण अनुदानों, लेखाशीर्ष, अभ्यर्पित धनराशि, अभ्यर्पण के कारणों के साथ ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है। अत्यधिक धनराशियों का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि बजट हेतु समुचित तैयारियाँ नहीं की गयी थी।

2.3.9 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

वर्ष 2012–13 में 12 अनुदानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) में ₹ 3,333.93 करोड़ की बचत के सापेक्ष ₹ 3,876.76 करोड़ धनराशि का अभ्यर्पण किया

[2]बजट मैनुअल भाग–II

गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 542.83 करोड़ का अत्यधिक अभ्यर्पण हुआ जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दिया गया है। वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि विभाग मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह की निगरानी पर पर्याप्त बजटीय नियन्त्रण रखने में असफल रहा।

2.3.10 अभ्यर्पित न की गई पूर्वानुमानित बचतें

बजट मैनुअल के प्रस्तर 139 के अनुसार, व्यय करने वाले विभागों को ऐसे अनुदान/विनियोग या उनके अंश को, जैसे ही बचत प्रत्याशित हो, वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर देना चाहिए। फिर भी, वर्ष 2012–13 के अन्त में 35 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में बचत होने के बाद भी उसका कोई भाग सम्बन्धित विभागों द्वारा अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में ₹ 20,272.07 करोड़ की धनराशि निहित थी (***परिशिष्ट 2.9***)।

इसी प्रकार, 65 प्रकरणों (₹ एक करोड़ एवं अधिक की बचत वाले) में कुल बचत की धनराशि ₹ 26,115.54 करोड़ में से ₹ 22,057.21 करोड़ (84 *प्रतिशत*) अभ्यर्पित नहीं की गयी, जो कुल बचत ₹ 32,706.99 करोड़ का 67 *प्रतिशत* थी, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.10*** में दिया गया है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त था जिसके परिणामस्वरूप निधियाँ अवरूद्ध रहीं तथा इनका उपयोग अन्य विकास कार्यों हेतु नहीं किया जा सका।

2.3.11 राजस्व एवं पूंजीगत लेखे के मध्य व्यय का अपवर्गीकरण

सरकारी लेखे नियमों के अनुसार सहायता अनुदान पर व्यय को पूंजीगत व्यय नहीं समझा जा सकता न ही पूंजीगत लेखे के नामे किया जाना चाहिए।

वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पूंजीगत शीर्षों से ₹ 4,887.43 करोड़ 'सम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान' प्रदान किया गया। इस कारण इतनी ही धनराशि का राजस्व आधिक्य परिलक्षित हुआ। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने ₹ सात करोड़ की धनराशि वृहद कार्यों हेतु राजस्व अनुभाग के अधीन उपलब्ध एवं पुस्तांकित करायी, जिससे इतनी ही धनराशि से राजस्व आधिक्य में कमी परिलक्षित हुई।

2.3.12 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा ₹ 600 करोड़ की कॉर्पस धनराशि के साथ अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1962 के अधीन आकस्मिकता निधि की व्यवस्था की जाती है जो कि राज्य विधान मण्डल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकृत किये जाने हेतु लम्बित होते हैं। समेकित निधि में सम्बन्धित कार्यदायी मुख्य शीर्ष में व्यय के नामे जमा (डेबिट) करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

आकस्मिकता निधि से सम्बन्धित लेन–देन वित्त लेखे के **विवरण संख्या–18** में मुख्य शीर्ष 8000 – आकस्मिकता निधि के अधीन दर्शाये जाते हैं। वर्ष 2012–13 में यह संज्ञान में आया कि आकस्मिकता निधि से ₹ 262.45 करोड़ आहरित किया गया, जिसकी प्रतिपूर्ति उसी वर्ष नहीं की जा सकी एवं मार्च 2013 तक इस धनराशि की प्रतिपूर्ति नहीं हो सकी।

2.3.13 बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

तेरहवें वित्त आयोग ने संस्तुति दी कि लोक लेखा को राज्य के समेकित निधि के विकल्प के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और समेकित निधि से लोक लेखा में हस्तांतरण से बचते हुए सरकारी व्यय सीधे समेकित निधि से होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड V, भाग–1 का नियम 162 कोषागार से धनराशि के आहरण का निषेध करता है जब तक कि इसके त्वरित वितरण के लिए आवश्यकता न हो। यद्यपि, नमूना जांच में पाया गया कि ₹ 633.11 करोड़ की धनराशि राजकोष से प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए आहरित की गई जिसका विवरण **सारणी 2.8** में दिया गया है।

सारणी 2.8: *बजटीय प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण*

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान संख्या, विभाग का नाम तथा मुख्य शीर्ष	बजट प्रावधान	वित्तीय प्रभावों पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष
1	अनुदान सं0 22 खेल विभाग मुख्य लेखा शीर्ष 4202	36.56	₹ 15.17 करोड़ की धनराशि इटावा के सैफई में स्टेडियम के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई (30 मार्च एवं 31 मार्च) एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यू.पी.आर.एन.एन.) के जमा खाते में स्थानांतरित (31 मार्च 2013) की गई।
2	अनुदान सं0 26 गृह विभाग (पुलिस) मुख्य लेखा शीर्ष 4055	701.96	वर्ष 2012–13 में वृहद कार्यों के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 41.64 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित की गई (31 मार्च 2013)।
3	अनुदान सं0 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) मुख्य लेखा शीर्ष 4210	73.09	सहारनपुर में एलोपैथी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ₹ 23.09 करोड़ स्वीकृत किया गया (31 मार्च 2013) एवं यू.पी.आर.एन.एन. के जमा खाते में हस्तांतरित किया गया (31 मार्च 2013)।
4	अनुदान सं0 37 नगर विकास मुख्य लेखा शीर्ष 2217 एवं मुख्य लेखा शीर्ष 4217	2,359.25	तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन स्थानीय निकायों को 31 मार्च 2013 को निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा ₹ 230.88 करोड़ सहायता अनुदान राशि कोषागार से आहरित की गई थी एवं स्थानीय निकायों को यह हस्तांतरित होने के पहले बैंक खाते में निक्षेपित की गई। इसी प्रकार, शहरी अवस्थापना अनुदान से सम्बन्धित ₹ 209.99 करोड़ 29 मार्च एवं 31 मार्च 2013 को निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा कोषागार से आहरित की गई एवं स्थानीय निकायों को वर्ष 2012–13 के बाद स्थानांतरित की गई। इसके अलावा 31 मार्च 2013 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित ₹ 3.07 करोड़ कोषागार से आहरित किये गये एवं बैंक खाते में रखने के बाद नगर निगम, बलिया को स्थानांतरित किया गया (जुलाई 2013)।
5	अनुदान सं0 48 अल्पसंख्यक कल्याण मुख्य लेखा शीर्ष 4235	304.62	अल्पसंख्यक जिलों में बहुक्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित ₹ 84.27 करोड़ 31 मार्च–2013 को निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा कोषागार से आहरित किया गया एवं वर्ष 2012–13 की समाप्ति के पश्चात कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान किया गया।
6	अनुदान सं0 49 महिला एवं बाल कल्याण मुख्य लेखा शीर्ष 4235	25.00	आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण से सम्बन्धित ₹ 25 करोड़ 30 मार्च 2013 को स्वीकृत किया गया एवं 31 मार्च 2013 को कोषागार से आहरित किया गया तथा उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम के व्यक्तिगत लेजर खाते में निक्षेपित किया गया।

(स्रोतः सम्बन्धित विभाग)

सारणी 2.8 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 में कोषागार से निधियों को आहरित किया गया जो कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा हुई अनुसंशाओं की अवमानना थी एवं

विभागों द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड V भाग 1 के नियम के बजटीय नियम का उल्लंघन बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिये किया गया।

2.3.14 व्यय की अधिकता

बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(ई) के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में अधिक व्यय से बचना चाहिये।

वर्ष 2012–13 में कुल राजस्व व्यय का 24 *प्रतिशत* एवं कुल पूंजीगत व्यय का 33.52 *प्रतिशत* अकेले मार्च माह में ही व्यय किया गया। ऐसे व्यय विभागों के वर्ष के सम्पूर्ण बजट का महत्वपूर्ण भाग दर्शाते हैं। विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दिया गया है।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

विधान सभा में समस्त अनुदानों की माँगों पर मतदान पूर्ण होने के पश्चात् राज्य की समेकित निधि से (क) विधान सभा द्वारा पारित अनुदानों की माँगों और (ख) समेकित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियों के विनियोग हेतु विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात् विधेयक पर राज्यपाल महोदय की सहमति प्राप्त की जाती है जिसके उपरान्त अधिनियम एवं संलग्न अनुसूचियों में दर्शायी गयी धनराशियाँ विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि होती है।

विनियोग अधिनियम, 2012 के कुल 92 अनुदानों में से दो अनुदानों नामित अनुदान संख्या 11–कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी), की माह अगस्त 2013 में समीक्षा की गयी थी। वर्ष 2012–13 के अनुदानों के बजट प्रावधानों, व्ययों तथा बचतों का विवरण **परिशिष्ट 2.12** में सारांशीकृत है। समीक्षा के परिणाम की चर्चा नीचे की गई है।

अनुदान संख्या–11

अनुदान संख्या–11 के अधीन वर्ष 2012–13 में 'कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)' हेतु ₹ 3,407.22 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें ₹ 2.50 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान था। इसमें से मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 822.72 करोड़ की बचत करते हुये ₹ 2,584.50 करोड़ व्यय किये गये

अनुदान संख्या–32

अनुदान संख्या–32 के अधीन वर्ष 2012–13 में चिकित्सा विभाग (एलोपैथी) हेतु ₹ 3,796.08 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमें ₹ 5.05 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान सम्मिलित था। इनमें से मार्च 2013 के अन्त तक ₹ 3,161.41 करोड़ व्यय किये गये एवं ₹ 634.67 करोड़ की बचत की गई। यह दर्शाता है कि ₹ 5.05 करोड़ अनुपूरक प्रावधान आवश्यकता से अधिक था एवं अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान सं0–11 एवं 32 से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि वर्ष 2012–13 में विभिन्न मुख्य शीर्षों/उपशीर्षो के अधीन नौ विभिन्न कार्यक्रमों/विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन/कार्यान्वयन के लिए ₹ 74.44 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसका उपयोग नहीं किया गया जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है। यह संज्ञान में आया कि ₹ 74.44 करोड़ के प्रावधान का शत प्रतिशत उपयोग न होने के कारण वर्ष 2012–13 के अन्त में उसे अभ्यर्पित करना पड़ा। यह बजटीय प्रक्रिया में नियोजन की कमी को दर्शाता है। ₹ 74.44 करोड़ के प्रावधान को अन्य कमी वाले क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता था। निम्नलिखित बिन्दु भी आगे देखे गये:

- अनुदान संख्या–11 के अधीन ₹ 17.48 करोड़ का बजट प्रावधान भूमि एवं जमीन विकास में सूक्ष्म अवयव की कमी को दूर करने के लिए किसानों को जिप्सम का वितरण करने हेतु किया गया । इसके सापेक्ष, सरकार ने वर्ष 2012–13 में ₹ 15.12 करोड़ की स्वीकृति दी, इनमें से केवल ₹ 5.40 करोड़ व्यय किया गया एवं उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा जिप्सम की कम आपूर्ति के कारण ₹ 9.72 करोड़ की बचत हुई। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को जिप्सम (64 *प्रतिशत*) का कम वितरण हुआ। इसी तरह वर्ष 2012–13 में केन्द्रीय योजना/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अधीन इसी अनुदान की तीन योजनाओं[3] के लिए ₹ 63.61 करोड़ का प्रावधान किया गया। यद्यपि, इन तीन योजनाओं के कार्य योजनाओं की स्वीकृति में विलम्ब के कारण ₹ 18.64 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया एवं वर्ष 2012–13 के अन्तिम दिन वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दिया गया।
- सरकार की औषधि क्रय नीति 2004 के अनुसार बजट का 20 *प्रतिशत* निदेशक, केन्द्रीय चिकित्सा स्टोर विभाग (सी.एम.एस.डी.), लखनऊ द्वारा एवं 80 *प्रतिशत* क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा व्यय किया जाना था । औषधि/रसायनों के खरीद के लिए अनुदान सख्या 32 के अधीन बजट में ₹ 360 करोड़ का प्रावधान किया गया। इनमें से ₹ 72 करोड़ (20 *प्रतिशत*) शहरी एवं ग्रामीण अस्पतालों को औषधि/रसायनों (जीवन रक्षक औषधियों) के खरीद एवं वितरण के लिए निदेशक, सी.एम.एस.डी. को आवंटित (2012–13) किया गया। वर्ष 2012–13 में निदेशक, सी.एम.एस.डी. ने उत्तर प्रदेश ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (यू0पी0डी0पी0एल0) को ₹ 9.62 करोड़ का भुगतान किया एवं यू0पी0डी0पी0एल0 द्वारा विनिर्माण/आपूर्ति न होने के कारण वित्त विभाग को ₹ 62.38 करोड़ की अवशेष धनराशि अभ्यर्पित कर दी गई (मार्च 2013)।
- राजस्व दत्तमत भाग के अधीन अनुदान संख्या 11 एवं 32 में अनवरत बचत हो रही थी जिस पर **प्रस्तर संख्या 2.3.2** में टिप्पणी की गयी है।

2.5 कोषागार निरीक्षण के परिणाम

राज्य में 77 कोषागार एवं 210 उपकोषागार हैं। वर्ष 2012–13 में सभी कोषागारों एवं उपकोषागारों का निरीक्षण कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा किया गया। कोषागार निरीक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है।

2.5.1 दिवंगत पेंशनरों की अवितरित पेंशन की वसूली का न हो पाना

पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात अवितरित पेंशन की राशि ब्याज सहित सम्बन्धित बैंकों से वापस प्राप्त कर चालान के माध्यम से शासकीय लेखे के प्राप्ति शीर्ष में जमा कर देनी चाहिये।

यद्यपि, कोषागारों में उपलब्ध पेंशन अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 41 कोषागारों के 685 प्रकरणों से सम्बन्धित अवितरित पेंशन ₹ 1.08 करोड़ की धनराशि बैंक से वापस नहीं ली गयी एवं 2012–13 तक सम्बन्धित बैकों में पड़ी रही। कोषागारवार अवितरित धनराशि की वांछित वसूली का विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

[3]

विवरण	बजट प्रावधान	बचत
हाईब्रिड बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना	₹ 30.00 करोड़	₹ 8.89 करोड़
ग्रीष्मकालीन मूंगफली के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना	₹ 2.50 करोड़	₹ 1.50 करोड़
विभिन्न पर्यावरणीय संसाधनों के माध्यम से कीटाणु जनित रोगों पर नियंत्रण	₹ 31.11 करोड़	₹ 8.25 करोड़
योग	**₹ 63.61 करोड़**	**₹ 18.64 करोड़**

2.5.2 पेंशन/उपादान का अधिक/कम भुगतान

सतहत्तर कोषागारों एवं 210 उपकोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 में सात कोषागारों[4] में ₹ 14.74 लाख का अधिक एवं पाँच कोषागारों[5] में ₹ 1.35 लाख कम पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान किया गया। इसी प्रकार, एक कोषागार[6] में ₹ 0.30 लाख अधिक एवं चार कोषागारों[7] में ₹ 0.70 लाख कम सेवानिवृत्ति उपादान का भुगतान किया गया।

2.5.3 ई–भुगतान

शासन के आदेश 1 (जून 2012) के अनुसार ई–भुगतान प्रणाली 1 अक्टूबर 2012 तक लागू किया जाना था। कोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य में 77 में से 16 कोषागारों[8] में ई–भुगतान प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2003 में कोषागारों द्वारा जनपद के सभी सरकारी कर्मचारियों के डाटा–बेस बनाये जाने का भी आदेश दिया था। यद्यपि, कोषागारों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 14 जिलों[9] में सरकारी कर्मचारियों का डाटा–बेस अपूर्ण था (2012–13)।

2.6 निष्कर्ष

₹ 29,701.70 करोड़ की कुल बचत ₹ 32,706.99 करोड़ की बचत का शुद्ध परिणाम थी जो ₹ 3,005.29 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित हुई। इसके अतिरिक्त अनावश्यक, अपर्याप्त, आधिक्य व बचत आदि के प्रकरण थे। वर्ष 2005–12 की अवधि में किए गये व्ययाधिक्य ₹ 15,363.76 करोड़ एवं वर्ष 2012–13 में किये गये ₹ 2,380.23 करोड़ के व्ययाधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत विनियमितीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, बजट मैनुअल के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, बैंकों से अवितरित पेंशनों की वसूली नहीं की गयी तथा पेंशन एवं उपादान के अधिक/कम भुगतान के प्रकरण थे।

2.7 संस्तुतियाँ

राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:

- बजटीय नियंत्रण प्रणाली को समस्त विभागों में मजबूत किया जाना चाहिए जिससे कि प्रावधान अनुपयोगी न रहे।
- अत्यधिक, अनावश्यक, अनुपूरक प्रावधान एवं निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन से बचना चाहिए।
- विभागीय बजट वास्तविक आधार पर बनाना चाहिए तथा निधियों का अनवरत उपयोग न करना एवं निधियों के अत्यधिक प्रावधान से बचना चाहिए।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन विनियमितीकरण के लिए लम्बित पड़े अधिक व्यय का नियमितीकरण किया जाना चाहिए।

---

[4]मऊ, बुलन्दशहर, रामपुर, फिरोजाबाद, औरैया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर एवं मुजफ्फरनगर।
[5]सहारनपुर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, जौनपुर, बलिया एवं मऊ।
[6]रमाबाई नगर।
[7]उन्नाव, एटा, आगरा एवं काशीराम नगर।
[8]कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, हमीरपुर, ललितपुर, ज्योतिबाफूले नगर, बागपत, बाराबंकी, लखनऊ (कलेक्ट्रेट), हरदोई, सिद्धार्थनगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर एवं फतेहपुर।
[9]कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, सहारनपुर, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, संतकबीर नगर, गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, संतरविदास नगर, गोरखपुर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर एवं सिद्धार्थ नगर।